न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 56/2018

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली		नथीया पुत्र अचला मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.07.2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट में अप्राथी को राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमी का आवंटन) नियम 1979 के तहत खसरा नम्बर 285 कुल रकबा 1694.13 बीघा में से रकबा 0.05 बीघा आराजी का आवंटन किया गया है, किए गए उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट में अप्राथी को राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमी का आवंटन) नियम 1979 के तहत खसरा नम्बर 285 कुल रकबा 1694.13 बीघा में से रकबा 0.05 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है, बाद इन्द्राज उक्त आवंटित भूमि के बट्टा नम्बर 390/285 दर्ज किए गए है, खसरा नम्बर 285 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी एवं खसरा नम्बर 390/285 नदी का ही भाग है। जिसमें से आवंटन उप जिला कलक्टर, पाली के आदेश क्रमांक पीए/762–66 दिनांक 01.08.2001 के द्वारा दस वर्ष की अवधि के लिए किया गया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 540 दिनांक 01.10.2003 दर्ज किया गया। उक्त भूमि की किस्म वक्त आवंटन गै.मु. नदी दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से उक्त आवंटन विधि सम्मत नहीं है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से प्रभावित होने से उक्त निर्णय की पालना में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 540 दिनांक 01.10.2003 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 कुल रकबा 1694.13 बीघा किस्म गै.मु. नदी में से रकबा 0.05 बीघा आराजी का उपखण्ड अधिकारी

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

पाली द्वारा जरिये आदेश क्रमांक पीए/762–66 दिनांक 01.08.2001 के राज. भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमी का आवंटन) नियम 1979 के तहत 24/– रू. प्रति वर्ष लीज पर 10 वर्ष के लिए किया गया था। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 540 दिनांक 01.10.2003 नायब तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत किया गया एवं आवंटी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उप जिला कलक्टर, पाली के आदेश क्रमांक पीए/762–66 दिनांक 01.08.2001 एवं उसकी पालना में नायब तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 540 दिनांक 01.10.2003 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी नथीया पुत्र अचला मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) के पक्ष में उप जिला कलक्टर, रोहट के द्वारा जरिये आदेश क्रमांक पीए/762–66 दिनांक 01.08.2001 द्वारा जो आवंटन किया गया है। उक्त आदेश एवं उसकी पालना में नायब तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 540 दिनांक 01.10.2003 को निरस्त फरमाया जावे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)